



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdashodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/203033-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 1370.

दिनांक:- 14/03/2022

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 09.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (26.11.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 26.11.2021 जोन पूर्व/पश्चिम के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन पूर्व

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	डांगियावास	105/1/2	04.08.08 बीघा	नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री सुगनाराम पुत्र श्री जवानाराम				
विषय:-	नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।</li><li>2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।</li><li>3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन-पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li><li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li><li>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय</li></ol>				

	<p>में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

### एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	नान्दडा कलां	200	16.06.00 बीघा में से 13.11.00 बीघा	आवासीय योजना (सी.एम.जे.ए.वाई. के प्रावधान 3-बी के तहत)
आवेदक	श्री श्रवणसिंह, श्री पुरणसिंह व श्री रामसिंह पुत्रान् स्व. श्री सुजानसिंह				
विषय:-	आवासीय योजना (सी.एम.जे.ए.वाई. के प्रावधान 3-बी के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क से 30 फीट की समर्पित लिंक सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त रास्ते को राजस्व मानचित्र अनुसार सुपरइम्पोज ले-आउट प्लान पर किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से एल.टी विद्युत लाईन गुजर रही है अतः उक्त लाईन को शिफ्ट किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे अथवा नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</li> <li>3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना 3 बी के सभी प्रावधानों की पालना एवं रेरा रजिस्ट्रेशन जोन स्तर से सुनिश्चित करावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> <li>7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> </ol>				

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	खोखरिया	183/3	00.15.15 बीघा	होटल
आवेदक	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लालाराम				
विषय:-	होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण कर लिया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प.18(25)नविवि/सामान्य/ 2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। सैटबैक में किये गये निर्माण को एक वर्ष में हटाये जाने बाबत शपथपत्र लिया जा कर उसकी पालना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	नान्दडा खुर्द	228	05.05.00 बीघा में से 01.16.13 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री प्रेमराम पुत्र श्री लालाराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन की जावें।</li> <li>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।</li> </ol>				



4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

### एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	नान्दडा कलां	311 व 311/15	खसरा संख्या 311 रकबा 02.05.00 बीघा व खसरा संख्या 311/15 रकबा 02.05.00 बीघा कुल रकबा 4.10.00 बीघा में से 02.15.03 बीघा	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्री रमेश विश्णोई पुत्र श्री ओमाराम एवं श्री मेहराराम पुत्र श्री सांवतराम				
विषय:-	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि राडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>2. पेट्रोल पम्प डिस्पेन्सिंग यूनिट से 50 मीटर परिधि में कोई आवासीय कमिटमेंट नहीं है बाबत सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे।</li> <li>3. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</li> <li>4. आवेदक को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PESO व अन्य संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जानी होगी।</li> <li>5. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत</li> </ol>				

	<p>शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

### एजेन्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	जालेली फौजदारा	178/03	रकबा 16.18.10 बीघा में से 01.08.08 बीघा	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्री नरपतसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह				
विषय:-	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</li> <li>3. आवेदक को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PESO व अन्य संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जानी होगी।</li> <li>4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				



एजेन्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	कांकेलाव एवं जालेली फौजदारा	कांकेलाव के खसरा संख्या 29/2, 30/5 एवं जालेली फौजदारा के खसरा संख्या 25, 25/8	कुल रकबा 13.03.00 बीघा	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री पप्पूराम पि. श्री गोपाराम				
विषय:-	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि के पश्चिम में मास्टर प्लान की 48 मीटर सडक गुजर रही है। अतः सडक मध्य से 24 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावें।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेन्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	खारडा रणधीर	43/1	05.14.00 बीघा	एकल आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हरचन्द्रराम				
विषय:-	एकल आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट का पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है। अतः सडक मध्य से 9 मीटर में आ रही भूमि प्रार्थी भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> </ol>				

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. आवेदित भूमि भारतीय वायुसेना के कलर कोडेड जोनिंग मेप अनुसार रेड जोन श्रेणी में अवस्थित हैं अतः निर्माण स्वीकृति/भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व वायुसेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक हैं।

### एजेन्डा संख्या 10

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	बासनी बैन्दा	14/3	10.00.15 बीघा	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री सुनील गोदारा पुत्र श्री महेन्द्र				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है। अतः सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे।</li> <li>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> <li>6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> <li>7. आवेदित भूमि भारतीय वायुसेना के कलर कोडेड जोनिंग मेप अनुसार रेड जोन श्रेणी में अवस्थित हैं अतः निर्माण स्वीकृति/भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व वायुसेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक हैं।</li> </ol>				



एजेन्डा संख्या 11

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	डोलिया	124 व 125	43.13.00 बीघा	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री कालुराम पुत्र श्री जैताराम, जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारसमल भण्डारी				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2031 रिपोर्ट की डी.सी.आर अनुसार आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण को स्थगित रखे जाने एवं प्रार्थी को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 12

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पूर्व	नान्दडा कलां	186/4	11.12.00 बीघा	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती पप्पुडी पत्नी श्री बागाराम				
विषय:-	आवासीय योजना प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को गैर अनुमोदित योजना से में से 40 फीट का पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त रास्ता जोनल डेवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर प्रस्तावित है एवं प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि में 18 मीटर रास्ते को दर्शाया है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				



## जोन पश्चिम

### एजेन्डा संख्या 01

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	बासनी सिलावटा	1/6 व 1/7	23.18.00 बीघा	एकल भूखण्ड फार्म हाउस प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री दानाराम, घुमंडा पुत्र श्री मोहनराम जी व श्री नारायणराम पुत्र श्री देवाराम जी				
विषय:-	एकल भूखण्ड फार्म हाउस प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि में से मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर व जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।</li> <li>2. आवेदित भूमि का राजस्व मानचित्र सुपरइम्पोज अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।</li> <li>3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

### एजेन्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	मेलबा	494/2	12.10.00 बीघा	एकल भूखण्ड फार्म हाउस प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्री हीराराम पुत्र श्री शेराराम				
विषय:-	एकल भूखण्ड फार्म हाउस प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को मेलबा से लुणावास कलां को जाने वाले रास्ते पर स्थित हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सडक प्रतिरूप अनुसार वी.आर श्रेणी (ग्रामीण सडक) है। अतः उक्त सडक मार्गाधिकार 24 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के क्रम में मेलबा से लुणावास कलां को जाने वाली ग्रामीण सडक का मार्गाधिकार 24 मीटर रखे जाने हेतु दो दैनिक समाचार पत्रों में</li> </ol>				



	<p>आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु आम सूचना का प्रकाशन किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।</p> <p>2. आवेदित भूमि का राजस्व मानचित्र सुपरइम्पोज अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

### एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	रोहिला भाण्डू	39/3	03.02.10 बीघा में से 2679 वर्गमीटर	पेट्रोल पम्प
आवेदक	श्रीमती सुमन चौधरी पुत्र श्री जोराराम जी				
विषय:-	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। प्रार्थी द्वारा सड़क मध्य से 40 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रस्तावित की है। अतः सड़क मध्य से 40 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</li> <li>3. आवेदक को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PESO व अन्य संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जानी होगी।</li> <li>4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र</li> </ol>				

	<p>लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

### एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	केरू	1256/2, 1256/2/1, 1256/2/2, 1256/2/3, 1256/2/4, 1256/4	21.15.00 बीघा	फार्म हाउस योजना
आवेदक	श्रीमती पिकी मीणा पत्नी श्री लेखराज मीणा व श्री हेमराज मीणा पुत्र श्री राजीलाल मीणा				
विषय:-	फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग को मुख्य सड़क तक 18 मीटर प्रस्तावित किया जावे एवं सड़क मार्गाधिकार 18 मीटर किये जाने हेतु प्राधिकरण की आवश्यक भूमि जो सड़क मार्गाधिकार में जा रही हैं उसकी राशि आवेदक से जमा करवायी जावे।</li> <li>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

### एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	चौखा	28	30.67 है०	आवासीय योजना
आवेदक	जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि				
विषय:-	अनुमोदित आवासीय योजना के संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर आवासीय योजना का संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

—d

एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	चौखा	72, 82	32.39 है०	आवासीय योजना
आवेदक	जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि				
विषय:-	अनुमोदित आवासीय योजना के संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर आवासीय योजना का संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2022	पश्चिम	बांगा	870	02.05.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री किशनाराम उर्फ किशन सिंह पुत्र श्री गोविन्दराम				
विषय:-	आवासीय योजना का ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग के खसरा संख्या 12/1 के संबंधित वाद न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महो. के समक्ष विचारधीन है। अतः प्रकरण में माननीय न्यायालय से आदेश/निस्तारण उपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में रखे का निर्णय लिया गया।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
14/03/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/1971-1975

दिनांक:- 14/03/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
14/03/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 09.02.2022 को आयुक्त, महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                  | अध्यक्ष    |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                       | सदस्य      |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य      |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री अनिल पूनियों उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर            | सदस्य      |
| 6. श्री नीरज मिश्र उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर             | सदस्य      |
| 7. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।          | सदस्य सचिव |

14/3/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

